विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के प्रस्तावों तथा अन्य विविध प्रस्तावों पर विचार करने के लिए 23 नवंबर, 2012 को आयोजित एसईजेड के लिए अनुमोदन बोर्ड की 55वीं बैठक का कार्यवृत्त

अधिसूचित / अनुमोदित एसईजेड के संबंध में प्रस्तावों पर विचार करने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) के लिए अनुमोदन बोर्ड (बीओए) की पच्चपनवीं (55वीं) बैठक श्री एस आर राव, सचिव, वाणिज्य विभाग की अध्यक्षता में 23 नवंबर, 2012 को पूर्वाहन 10.30 बजे कमरा नंबर 47, उद्योग भवन, नई दिल्ली में हुई। प्रतिभागियों की सूची संलग्न है (अनुबंध 1)।

2. अनुमोदन बोर्ड के सदस्यों को संबोधित करते हुए अध्यक्ष ने सूचित किया कि एसईजेड स्थापित करने के लिए अब तक 585 औपचारिक अनुमोदन प्रदान किए गए हैं जिसमें से इस समय 385 एसईजेड अधिसूचित हो गए हैं। उन्होंने यह भी सूचित किया कि 30 जून, 2012 की स्थिति के अनुसार, एसईजेड में 2,18,795.41 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया गया है और एसईजेड में 9,45,990 व्यक्तियों के लिए प्रत्यक्ष रोजगार का सृजन किया गया है। वित्त वर्ष 2011-13 के दौरान, एसईजेड से 3,64,477.73 करोड़ रुपए का कुल निर्यात किया गया है जो वर्ष 2010-11 के लिए निर्यात की तुलना में लगभग 15.39 प्रतिशत अधिक है। वर्तमान वित्त वर्ष में 30 सितंबर, 2012 तक 2,39,628.78 करोड़ रुपए का निर्यात किया गया है जो वित्त वर्ष 2011-12 की समतुल्य अवधि में निर्यात की तुलना में 36 प्रतिशत अधिक है।

3. शुरू में अध्यक्ष ने अनुमोदन बोर्ड के समक्ष एजेंडा की मदों को प्रस्तुत करने तथा जांच करने की समय सीमा का पालन करने का मुद्दा उठाया तथा अनुरोध किया कि सभी प्रतिभागी अनुमोदन बोर्ड द्वारा विचार किए जाने वाले प्रस्तावों को प्रस्तुत करने, प्रोसेस करने और जांच करने के लिए निम्नलिखित समय सीमा का पालन करें।

	विषय (प्रस्ताव जिन पर अनुमोदन बोर्ड द्वारा विचार किया जाना है)	समय सीमा (अनुमोदन बोर्ड की बैठक से पूर्व)
1.	क्षेत्रीय विकास आयुक्त द्वारा वाणिज्य विभाग को प्रस्ताव अग्रेषित किया जाना	तीन सप्ताह
2.	इस प्रकार प्राप्त प्रस्तावों को प्रोसेस करना, वाणिज्य विभाग द्वारा एजेंडा तैयार किया जाना	दो सप्ताह
3.	राजस्व विभाग द्वारा वाणिज्य विभाग को एजेंडा पर लिखित टिप्पणियां, यदि कोई हों, भेजा जाना	तीन सप्ताह

मद संख्या 55.1 : सह विकासक के लिए अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड द्वारा सह विकासक के लिए सभी संस्वीकृत प्रस्ताव इस शर्त के अधीन हैं कि पट्टा करार / सह विकासक करार के विशिष्ट नियमों और शर्तों का लागू आयकर अधिनियम एवं नियमावली के तहत कर निर्धारण के प्रयोजनार्थ लीज रेंटल / डाउन पेमेंट / प्रीमियम आदि के रूप में आय के संव्यवहार से कोई सरोकार नहीं होगा। कर निर्धारण अधिकारी को यथालागू एसईजेड अधिनियम और आयकर अधिनियम के तहत इन राशियों की कराधेयता की जांच करने का अधिकार होगा। यह इस बैठक में अनुमोदन बोर्ड द्वारा अनुमोदित सह विकासक के सभी मामलों पर लागू है।

बोर्ड ने यह भी निदेश दिया कि सह विकासक का दर्जा प्रदान करने के प्रस्तावों के साथ पट्टा विलेख / प्रारूप विलेख संलग्न होना चाहिए जिसमें अन्य बातों के साथ विकासक एवं प्रस्तावित सह विकासक के बीच वित्तीय लेनदेन / व्यवस्था का ब्यौरा होना चाहिए। प्रस्तावों पर अनुमोदन बोर्ड के निर्णय इस प्रकार हैं :

(i) ग्राम खराडी, तालुक हवेली, जिला पुणे, महाराष्ट्र में आईटी / आईटीईएस के लिए मैसर्स एयॉन खराडी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स ए2जेड आनलाइन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने उपर्युक्त एसईजेड के संपूर्ण क्षेत्र के लिए उपर्युक्त एसईजेड में सह विकासक बनने के लिए मैसर्स ए2जेड आनलाइन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध को निम्नलिखित के लिए मंजूरी प्रदान की :

(क) विकास कार्य जैसे कि फिट आउट में निवेश करने के लिए प्लग एंड प्ले में वार्म शेल परिसर का परिवर्तन। अवसंरचना सुविधाओं के विकास / सृजन में भाग लेना जैसे कि कैफेटीरिया, फूड कोर्ट, कैंटीन तथा मनोरंजन केन्द्र और विकासक को डिजाइन, आयोजना एवं परामर्श सहायता प्रदान करना तथा वास्तविक विकास का पर्यवेक्षण एवं निगरानी।

(ख) प्रचालन एवं अनुरक्षण के लिए अपेक्षित उपकरण में निवेश सहित एसईजेड का प्रचालन एवं अनुरक्षण। प्रचालन एवं अनुरक्षण प्रबंध प्रशासनिक प्रबंधन, भवन सुरक्षा प्रक्रियाएं तथा अन्य आवश्यक गतिविधियां।

विकासक के साथ किए गए सह विकासक करार के अनुसरण में।

(ii) ग्राम पुथेंक्रुज एवं कुन्नाथुनाडू, तालुक कुन्नाथुनाडू, जिला एर्नाकुलम, केरल में मैसर्स इनफोपार्क्स, केरल द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स काग्नीजेंट टेक्नोलॉजी सोल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, बोर्ड ने विकासक के साथ किए गए सह विकासक करार के अनुसरण में आईटी / आईटीईएस के लिए अवसंरचना सुविधा के विकास, प्रचालन एवं अनुरक्षण के लिए उपर्युक्त एसईजेड में सह विकासक बनने के लिए मैसर्स मैसर्स काग्नीजेंट टेक्नोलॉजी सोल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान की।

(iii) प्लॉट नंबर 21, टेक जोन-4, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश में मैसर्स अर्थ इनफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स पीएलजी इंक्यूबेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, बोर्ड ने विकासक के साथ किए गए सह विकासक करार के अनुसरण में इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर यूनिटों सहित आईटी / आईटीईएस के लिए प्रसंस्करण क्षेत्र में लगभग 1.6 लाख वर्गफीट के सुपर एरिया वाले एक टावर का विकास करने के लिए उपर्युक्त

एसईजेड में सह विकासक बनने के लिए मैसर्स पीएलजी इंक्यूबेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान की।

(iv) गचिबाउली गांव, सेरींगमपल्ली मंडल, रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में मैसर्स फिनिक्स इंफो सिटी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स डेक्कन रियल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

डीजीईपी ने कहा कि इस बात का सुनिश्चय करने की आवश्यकता है कि क्या भूमि विकासक के नियंत्रण में है और भारग्रस्तता से मुक्त है। विचार विमर्श के बाद बोर्ड ने निर्णय लिया कि वाणिज्य विभाग आवश्यक स्पष्टीकरण प्राप्त करने के बाद फाइल पर मामले का निर्धारण करेगा।

(v) लंधैकुलम गांव, मदुरै, तमिलनाडु में इलेक्ट्रानिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु लिमिटेड (ईएलसीओटी) द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स हनीवेल टेक्नोलॉजी सोल्यूशंस लैब प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद बोर्ड ने विकासक के साथ किए गए सह विकासक करार के अनुसरण में 4.5 एकड़ के क्षेत्रफल में एसईजेड के विभिन्न अधिकृत प्रचालनों जिसमें आईटी / आईटीईएस सेवाओं को सुगम बनाने के लिए अधुनातन भवन का निर्माण शामिल है, से संबंधित अवसंरचना का विकास करने के लिए उपर्युक्त एसईजेड में सह विकासक बनने के लिए मैसर्स हनीवेल टेक्नोलॉजी सोल्यूशंस लैब प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान की।

(vi) ग्राम ग्वाल पहाड़ी, तहसील सोहना, जिला गुड़गांव, हरियाणा में मैसर्स एएसएफ इनसिग्निया एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में मैसर्स कैंटोन बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड) द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स किंग्स कैनन इनसिग्निया एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

सीबीडीटी का प्रतिनिधि विकास आयुक्त, एनएसईजेड से प्राप्त रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं था तथा प्रस्तावित पट्टा किराया की मात्रा, पट्टा करार की अवधि आदि की दृष्टि से वर्तमान प्रस्ताव पर आपत्ति की। अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव पर सीबीडीटी द्वारा उठाई गई आपत्तियों को नोट किया तथा उनके इस विरोध को स्वीकार किया कि मामले की और जांच करने की आवश्यकता है और इसलिए प्रस्ताव को आस्थगित कर दिया।

मद संख्या 52.2 : अधिकृत प्रचालनों के लिए अनुरोध

(i) मैसर्स डीएलएफ असेट्स प्राइवेट लिमिटेड जो गचिबाउली, हैदराबाद जिला, आंध्र प्रदेश में मैसर्स डीएलएफ कॉमर्सियल डवलपर्स लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक है, का अनुरोध

उपर्युक्त विषय पर विचार विमर्श के बाद बोर्ड ने प्रस्ताव को तब तक आस्थगित करने का निर्णय लिया जब तक कि वाणिज्य विभाग और राजस्व विभाग किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच जाते हैं। बोर्ड ने सभी विकास आयुक्तों को विशिष्ट गतिविधियों का प्रस्ताव करने का निदेश दिया जिनको विकासक द्वारा प्रसंस्करण क्षेत्र में संचालित किए जाने वाले अधिकृत प्रचालनों की सूची में शामिल किया जा सकता है।

मद संख्या 55.3 : क्षेत्रफल में वृद्धि / कटौती के लिए अनुरोध

(i) बंगलौर, कर्नाटक में आईटी / आईटीईएस के लिए अधिसूचित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में भूमि के कुछ अंश को विमुक्त करने के लिए मैसर्स श्यामराजू एंड कंपनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, बोर्ड ने एसईजेड से 8.56 हेक्टेयर के विमुक्तीकरण के लिए मैसर्स श्यामराजू एंड कंपनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान की जिससे एसईजेड का कुल क्षेत्रफल 13.20 हेक्टेयर रह जाएगा। यह अनुमोदन निर्धारित प्रपत्र में विकास आयुक्त द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के अधीन है कि अन्य बातों के साथ एसईजेड की सन्निकटता बरकरार है, विकासक ने कटौती किए जाने वाले क्षेत्र के संबंध में एसईजेड अधिनियम / नियमावली के तहत कोई कर / ड्यूटी लाभ प्राप्त नहीं किया है या प्राप्त किए गए सभी कर / ड्यूटी लाभों को वापस कर दिया है, प्रस्ताव पर राज्य सरकार को विमुक्तीकरण के प्रस्ताव पर कोई आपत्ति नहीं है, आदि।

(ii) ग्राम बेहरामपुर एवं बंडवारी, गुड़गांव, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस के लिए अधिसूचित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में भूमि के कुछ अंश को विमुक्त करने के लिए मैसर्स जी पी रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, बोर्ड ने एसईजेड से 8.56 हेक्टेयर के विमुक्तीकरण के लिए मैसर्स जी पी रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान की जिससे एसईजेड का कुल क्षेत्रफल 28.673 हेक्टेयर रह जाएगा। यह अनुमोदन निर्धारित प्रपत्र में विकास आयुक्त द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के अधीन है कि अन्य बातों के साथ एसईजेड की सन्निकटता बरकरार है, विकासक ने कटौती किए जाने वाले क्षेत्र के संबंध में एसईजेड अधिनियम / नियमावली के तहत कोई कर / ड्यूटी लाभ प्राप्त नहीं किया है या प्राप्त किए गए सभी कर / ड्यूटी लाभों को वापस कर दिया है, प्रस्ताव पर राज्य सरकार को विमुक्तीकरण के प्रस्ताव पर कोई आपत्ति नहीं है, आदि।

(iii) मंजरी बुदरुक, तालुक हवेली, जिला पुणे, महाराष्ट्र में जैव प्रौद्योगिकी के लिए विकसित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में क्षेत्रफल की वृद्धि के लिए मैसर्स एसईजेड बायोटेक सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, बोर्ड ने अधिसूचित एसईजेड में 4.61335 हेक्टेयर की वृद्धि के लिए मैसर्स एसईजेड बायोटेक सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान की जिससे एसईजेड का कुल क्षेत्रफल 16.1204 हेक्टेयर हो जाएगा। यह अनुमोदन एसईजेड की सन्निकटता बनाए रखने के अधीन है।

(iv) सर्वे नंबर 255, अदिबाटला गांव, इब्राहिमपट्टनम मंडल, रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में आईटी / आईटीईएस के लिए अधिसूचित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड के पुन: अभिमुखीकरण के लिए मैसर्स काग्नीजेंट टेक्नोलॉजी सोल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 11.06 एकड़ अर्थात 4.48 एकड़ के पुन: अभिमुखीकरण के लिए मैसर्स काग्नीजेंट टेक्नोलॉजी सोल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान की जो कुल अधिसूचित क्षेत्र अर्थात 16.19 हेक्टेयर का 28 प्रतिशत है। यह अनुमोदन निर्धारित प्रपत्र में विकास आयुक्त द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के अधीन है कि अन्य बातों के साथ एसईजेड की सन्निकटता बरकरार है, विकासक ने कटौती किए जाने वाले क्षेत्र के संबंध में एसईजेड अधिनियम / नियमावली के तहत कोई कर / ड्यूटी लाभ प्राप्त नहीं किया है या प्राप्त किए गए सभी कर / ड्यूटी लाभों को वापस कर दिया है, प्रस्ताव पर राज्य सरकार को विमुक्तीकरण के प्रस्ताव पर कोई आपत्ति नहीं है, आदि।

(v) क्षेत्रफल में वृद्धि और कटौती के लिए केरल औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम (किनफ्रा) जो ग्राम चेलेंबरा, तालुक तिरुरंगाडी, जिला मालाप्पुरम, केरल में खाद्य प्रसंस्करण के लिए अधिसूचित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने क्रमश: 0.887 हेक्टेयर के विमुक्तीकरण और 0.887 हेक्टेयर की वृद्धि के लिए केरल औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम (किनफ्रा) के अनुरोध को मंजूरी प्रदान की जिससे एसईजेड के क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यह अनुमोदन निर्धारित प्रपत्र में विकास आयुक्त द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के अधीन है कि अन्य बातों के साथ एसईजेड की सन्निकटता बरकरार है, विकासक ने कटौती किए जाने वाले क्षेत्र के संबंध में एसईजेड अधिनियम / नियमावली के तहत कोई कर / ड्यूटी लाभ प्राप्त नहीं किया है या प्राप्त किए गए सभी कर / ड्यूटी लाभों को वापस कर दिया है, प्रस्ताव पर राज्य सरकार को विमुक्तीकरण के प्रस्ताव पर कोई आपत्ति नहीं है, आदि।

(vi) एमआईडीसी, नालेज पार्क, ग्राम एरोली एवं दिघे, जिला थाणे, महाराष्ट्र में आईटी / आईटीईएस के लिए औपचारिक रूप से अनुमोदित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड का क्षेत्रफल 13.15 हेक्टेयर से घटाकर 11.74 हेक्टेयर करने के लिए मैसर्स गीगाप्लेक्स एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, बोर्ड ने एसईजेड से 1.41 हेक्टेयर की कटौती के लिए मैसर्स गीगाप्लेक्स एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान की जिससे एसईजेड का कुल क्षेत्रफल 11.74 हेक्टेयर रह जाएगा। यह अनुमोदन निर्धारित प्रपत्र में विकास आयुक्त द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के अधीन है कि अन्य बातों के साथ एसईजेड की सन्निकटता बरकरार है, विकासक ने कटौती किए जाने वाले क्षेत्र के संबंध में एसईजेड अधिनियम / नियमावली के तहत कोई कर / ड्यूटी लाभ प्राप्त नहीं किया है या प्राप्त किए गए सभी कर / ड्यूटी लाभों को वापस कर दिया है, प्रस्ताव पर राज्य सरकार को विमुक्तीकरण के प्रस्ताव पर कोई आपत्ति नहीं है, आदि।

मद संख्या 55.4 : विमुक्त करने के लिए अनुरोध

(i) 14.16 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में अंबरनाथ, जिला थाणे, महाराष्ट्र में आईटी / आईटीईएस एवं हार्डवेयर के लिए अधिसूचित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड को विमुक्त करने के लिए मैसर्स एंपायर इंडस्ट्रीज लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, बोर्ड ने 14.16 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में अंबरनाथ, जिला थाणे, महाराष्ट्र में आईटी / आईटीईएस एवं हार्डवेयर के लिए अधिसूचित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड को विमुक्त करने के लिए मैसर्स एंपायर इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया। यह अनुमोदन निर्धारित प्रपत्र में विकास आयुक्त द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के अधीन है कि अन्य बातों के साथ एसईजेड की सन्निकटता बरकरार है, विकासक ने कटौती किए जाने वाले क्षेत्र के संबंध में एसईजेड अधिनियम / नियमावली के तहत कोई कर / ड्यूटी लाभ प्राप्त नहीं किया है या प्राप्त किए गए सभी कर / ड्यूटी लाभों को वापस कर दिया है, प्रस्ताव पर राज्य सरकार को विमुक्तीकरण के प्रस्ताव पर कोई आपत्ति नहीं है, आदि।

(ii) नंदगांवपेठ, जिला अमरावती, महाराष्ट्र में 1008.36 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में बहु उत्पाद के लिए अधिसूचित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड को विमुक्त करने के लिए महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (एमआईडीसी) का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, बोर्ड ने नंदगांवपेठ, जिला अमरावती, महाराष्ट्र में 1008.36 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में बहु उत्पाद के लिए अधिसूचित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड को विमुक्त करने के लिए महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (एमआईडीसी) के अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया। यह अनुमोदन निर्धारित प्रपत्र में विकास आयुक्त द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के अधीन है कि अन्य बातों के साथ एसईजेड की सन्निकटता बरकरार है, विकासक ने कटौती किए जाने वाले क्षेत्र के संबंध में एसईजेड अधिनियम / नियमावली के तहत कोई कर / ड्यूटी लाभ प्राप्त नहीं किया है या प्राप्त किए गए सभी कर / ड्यूटी लाभों को वापस कर दिया है, प्रस्ताव पर राज्य सरकार को विमुक्तीकरण के प्रस्ताव पर कोई आपत्ति नहीं है, आदि।

(iii) बुटीबोरी, जिला नागपुर, महाराष्ट्र में 147.04 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में टेक्सटाइल के लिए अधिसूचित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड को विमुक्त करने के लिए महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (एमआईडीसी) का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, बोर्ड ने बुटीबोरी, जिला नागपुर, महाराष्ट्र में 147.04 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में टेक्सटाइल के लिए अधिसूचित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड को विमुक्त करने के लिए महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (एमआईडीसी) के अनुरोध अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया। यह अनुमोदन निर्धारित प्रपत्र में विकास आयुक्त द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के अधीन है कि अन्य बातों के साथ एसईजेड की सन्निकटता बरकरार है, विकासक ने कटौती किए जाने वाले क्षेत्र के संबंध में एसईजेड अधिनियम / नियमावली के तहत कोई कर / ड्यूटी लाभ प्राप्त नहीं किया

है या प्राप्त किए गए सभी कर / ड्यूटी लाभों को वापस कर दिया है, प्रस्ताव पर राज्य सरकार को विमुक्तीकरण के प्रस्ताव पर कोई आपत्ति नहीं है, आदि।

मद संख्या 55.5 : औपचारिक अनुमोदन को वापस लेने के लिए अनुरोध

(i) कानपुर, उत्तर प्रदेश में लेदर, टेक्सटाइल तथा इंजीनियरिंग माल के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए उत्तर प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डवलपमेंट कार्पोरेशन (यूपीएसआईडीसी) को प्रदान की गई तीन औपचारिक मंजूरियों को वापस लेना

अनुमोदन बोर्ड ने 103.90 हेक्टेयर, 103.7 हेक्टेयर और 102.80 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में कानपुर, उत्तर प्रदेश में लेदर, टेक्सटाइल तथा इंजीनियरिंग माल के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन को वापस लेने के लिए उत्तर प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डवलपमेंट कार्पोरेशन (यूपीएसआईडीसी) के अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया। यह अनुमोदन विकास आयुक्त द्वारा निर्धारित प्रपत्र में इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने के अधीन है कि एसईजेड की सन्निकटता बनी रहेगी, विकासक ने एसईजेड अधिनियम / नियमावली के तहत कोई कर / ड्यूटी लाभ प्राप्त नहीं किया है, राज्य सरकार को प्रस्ताव पर कोई आपत्ति नहीं है आदि।

(ii) चेय्यार सिपकॉट औद्योगिक क्षेत्र, चेय्यार तालुक, तिरुवन्नमलाई जिला, तमिलनाडु में ट्रेडिंग एवं लाजिस्टिक की गतिविधियों सहित आटोमोबाइल / आटोमोबाइल पार्ट्स / आटो एंसिलरी तथा सहायता सेवाओं के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए स्टेट इंडस्ट्रीज प्रमोशन कॉर्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु लिमिटेड को प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन को वापस लेना

बोर्ड ने 103.24 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में चेय्यार सिपकॉट औद्योगिक क्षेत्र, चेय्यार तालुक, तिरुवन्नमलाई जिला, तमिलनाडु में ट्रेडिंग एवं लाजिस्टिक की गतिविधियों सहित आटोमोबाइल / आटोमोबाइल पार्ट्स / आटो एंसिलरी तथा सहायता सेवाओं के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन को वापस लेने के लिए स्टेट इंडस्ट्रीज प्रमोशन कॉर्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया। यह अनुमोदन विकास आयुक्त द्वारा निर्धारित प्रपत्र में इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने के अधीन है कि एसईजेड की सन्निकटता बनी रहेगी, विकासक ने एसईजेड अधिनियम / नियमावली के तहत कोई कर / ड्यूटी लाभ प्राप्त नहीं किया है, राज्य सरकार को प्रस्ताव पर कोई आपत्ति नहीं है आदि।

मद संख्या 55.6 : नाम में परिवर्तन / इक्विटी के अंतरण के लिए अनुरोध

(i) मैसर्स कल्पना इंडस्ट्रीज लिमिटेड के साथ समामेलन को ध्यान में रखते हुए नाम में परिवर्तन के लिए मैसर्स बावरिया पोली प्राइवेट लिमिटेड जो एफएसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

बोर्ड ने मैसर्स कल्पना इंडस्ट्रीज लिमिटेड के साथ समामेलन को ध्यान में रखते हुए नाम में परिवर्तन के लिए मैसर्स बावरिया पोली प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध को निम्नलिखित के अधीन मंजूरी प्रदान की :

(i) विकासक की परिवर्तित कंपनी के लिए जिम्मेदारियों एवं बाध्यताओं में परिवर्तन के बगैर एसईजेड की गतिविधियों को अचूक ढंग से जारी रखना;
(ii) विकासक की परिवर्तित कंपनी तथा उसके संघटकों द्वारा सुरक्षा क्लियरेंस आदि सहित विकासक पर लागू पात्रता के सभी मापदंडों का निर्वहन;
(iii) राजस्व / कंपनी कार्य / सेबी आदि के सभी लागू नियमों की प्रयोज्यता तथा उनका अनुपालन, जो पूंजी अभिलाभ, इक्विटी परिवर्तन, अंतरण, कराधेयता आदि जैसे मुद्दों को विनियमित करते हैं।
(iv) इक्विटी के अंतरण से संबंधित पूर्ण वित्तीय ब्यौरे सदस्य (आईटी), सीबीडीटी, राजस्व विभाग को तुरंत प्रस्तुत किए जाएंगे।
(v) आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर निर्धारण अधिकारी को इक्विटी के अंतरण से अत्पन्न राशि की कराधेयता का निर्धारण करने का अधिकार होगा।
(vi) आवेदक राज्य सरकार के लागू संगत कानूनों का पालन करेगा जिसमें भूमि को पट्टा पर देने से संबंधित कानून शामिल हैं।
(vii) आवदेक अपनी एसईजेड यूनिट से भिन्न अपने विकासक कार्य के लिए अलग लेखा बही रखेगा।

(ii) मैसर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) के साथ मैसर्स रिलायंस जाम नगर इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (आरजेआईएल) के समामेलन के अनुसरण में रिलायंस जामनगर एसईजेड, जामनगर, गुजरात के विकासक के नाम में परिवर्तन के लिए मैसर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का अनुरोध

बोर्ड ने मैसर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) के साथ मैसर्स रिलायंस जाम नगर इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (आरजेआईएल) के समामेलन के अनुसरण में रिलायंस जामनगर एसईजेड, जामनगर, गुजरात के विकासक के नाम में परिवर्तन के लिए मैसर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अनुरोध को निम्नलिखित के अधीन मंजूरी प्रदान की :

(i) विकासक की परिवर्तित कंपनी के लिए जिम्मेदारियों एवं बाध्यताओं में परिवर्तन के बगैर एसईजेड की गतिविधियों को अचूक ढंग से जारी रखना;
(ii) विकासक की परिवर्तित कंपनी तथा उसके संघटकों द्वारा सुरक्षा क्लियरेंस आदि सहित विकासक पर लागू पात्रता के सभी मापदंडों का निर्वहन;
(iii) राजस्व / कंपनी कार्य / सेबी आदि के सभी लागू नियमों की प्रयोज्यता तथा उनका अनुपालन, जो पूंजी अभिलाभ, इक्विटी परिवर्तन, अंतरण, कराधेयता आदि जैसे मुद्दों को विनियमित करते हैं।
(iv) इक्विटी के अंतरण से संबंधित पूर्ण वित्तीय ब्यौरे सदस्य (आईटी), सीबीडीटी, राजस्व विभाग को तुरंत प्रस्तुत किए जाएंगे।

(v) आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर निर्धारण अधिकारी को इक्विटी के अंतरण से अत्पन्न राशि की कराधेयता का निर्धारण करने का अधिकार होगा।

(vi) आवेदक राज्य सरकार के लागू संगत कानूनों का पालन करेगा जिसमें भूमि को पट्टा पर देने से संबंधित कानून शामिल हैं।

(vii) आवदेक अपनी एसईजेड यूनिट से भिन्न अपने विकासक कार्य के लिए अलग लेखा बही रखेगा।

मद संख्या 55.7 : चौथे, पांचवें एवं छठें साल के बाद यूनिटों के औपचारिक अनुमोदनों की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने विकास आयुक्त को 5वें साल के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के अनुरोध की तभी सिफारिश करने की सलाह दी कि विकासक द्वारा परियोजना के प्रचालन के लिए पर्याप्त कदम उठाए गए हैं और वैधता अवधि पुन: बढ़ाया जाना उचित कारणों पर आधारित है। अनुमोदन बोर्ड ने यह भी टिप्पणी की कि नेमी मामले के रूप में वैधता अवधि बढ़ाई नहीं जा सकती है जब तक कि विकासक द्वारा जमीनी स्तर पर कुछ प्रगति नहीं की जाती है। इसलिए अनुमोदन बोर्ड ने विचार विमर्श के बाद पिछली बार बढ़ाई गई वैधता अवधि की समाप्ति की तिथि से औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि एक साल की अवधि के लिए 5वें साल के बाद तथा 6 माह की अवधि के लिए छठें वर्ष के बाद बढ़ाने के अनुरोधों को मंजूरी प्रदान की।" तद्नुसार, अनुरोधों पर निर्णय निम्नानुसार है :

(i) नवाल्लूर गांव, चेंगुलपेट तालुक और सेम्मेंचेरी गांव, टंबारम तालुक, कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु में हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 05 नवंबर, 2012 के बाद (छठें वर्ष के बाद) पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स प्लेटिनम होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 5 मई, 2013 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की।

(ii) करकापटला गांव, मुलुगू मंडल, मेडक जिला, आंध्र प्रदेश में जैव प्रौद्योगिकी के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 25 अक्टूबर, 2012 के बाद (छठें वर्ष के बाद) पुन: बढ़ाने के लिए आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एपीआईआईसी) का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 25 अप्रैल, 2013 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाई।

(iii) कंकसा, पानगढ़, जिला वर्दवान, पश्चिम बंगाल में सौर ऊर्जा उपकरण सहित गैर परंपरागत ऊर्जा के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की

वैधता अवधि 22 अगस्त, 2012 (छठवें वर्ष के बाद) के बाद आगे बढ़ाने के लिए मैसर्स इनफील्ड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि एसईजेड अधिसूचित हो गया है परंतु क्रियाशील नहीं है तथा 6 साल का समय बीत जाने के बावजूद बहुत कम प्रगति हुई है। विकास आयुक्त, एफएसईजेड ने सिफारिश की कि उक्त मामले में एक साल की अवधि के लिए अंतिम विस्तार प्रदान किया जा सकता है। विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 22 अगस्त 2013 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाई जिसके दौरान विकास आयुक्त से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया कि विकासक एसईजेड को क्रियाशील करे क्योंकि इसके बाद अवधि नहीं बढ़ाई जाएगी।

(iv) कंकसा, पानागढ़, जिला वर्दवान, पश्चिम बंगाल में सौर ऊर्जा उपकरण / सेल सहित गैर परंपरागत ऊर्जा के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 22 मई, 2012 (5वें वर्ष के बाद) के बाद पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स एनफील्ड रियलटर्स लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि एसईजेड अधिसूचित हो गया है परंतु क्रियाशील नहीं है तथा 5 साल का समय बीत जाने के बावजूद बहुत कम प्रगति हुई है। विकास आयुक्त, एफएसईजेड ने सिफारिश की कि उक्त मामले में एक साल की अवधि के लिए अंतिम विस्तार प्रदान किया जा सकता है। विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 22 मई 2013 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाई जिसके दौरान विकास आयुक्त से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया कि विकासक एसईजेड को क्रियाशील करे क्योंकि इसके बाद अवधि नहीं बढ़ाई जाएगी।

(v) चांदपुर चंपागाची, राजरहाट के पास, जिला 24 परगना (उत्तर), पश्चिम बंगाल में इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर सहित आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 22 मई, 2012 के बाद (5वें वर्ष के बाद) पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स इनफील्ड इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि एसईजेड अनुमोदित हो गया है और एक एक साल के लिए दो बार अवधि बढ़ाई जा चुकी है परंतु 5 साल का समय बीत जाने के बावजूद बहुत कम प्रगति हुई है। विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने **22** मई, 2012 के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंज़ूरी प्रदान नहीं की।

(vi) मौजा उत्तर गाजीपुर, दक्षिण 24 परगना, पश्चिम बंगाल में इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर सहित आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 14 अक्टूबर, 2012 के बाद (5वें वर्ष के बाद) पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स इनफील्ड इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि एसईजेड अनुमोदित हो गया है और एक एक साल के लिए दो बार अवधि बढ़ाई जा चुकी है परंतु 5 साल का समय बीत जाने के बावजूद बहुत कम प्रगति हुई है। विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 14 अप्रैल, 2012 के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंज़ूरी प्रदान नहीं की।

(vii) कंकसा, पानगढ़ बाजार, जिला वर्दवान, पश्चिम बंगाल में सौर ऊर्जा उपकरण सहित गैर परंपरागत ऊर्जा के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 25 जून, 2012 के बाद (चौथे वर्ष के बाद) पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स इनफील्ड एनर्जी लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि एसईजेड अधिसूचित हो गया है परंतु क्रियाशील नहीं है तथा 4 साल का समय बीत जाने के बावजूद बहुत कम प्रगति हुई है। विकास आयुक्त, एफएसईजेड ने सिफारिश की कि उक्त मामले में एक साल की अवधि के लिए अंतिम विस्तार प्रदान किया जा सकता है। विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 25 जून 2013 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाई जिसके दौरान विकास आयुक्त से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया कि विकासक एसईजेड को क्रियाशील करे क्योंकि इसके बाद अवधि नहीं बढ़ाई जाएगी।

(viii) ग्राम हामीपुर, खेटावास, सैदपुर एवं वजीरपुर, जिला गुड़गांव, हरियाणा में इंजीनियरिंग के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 09 अगस्त, 2012 के बाद (5वें वर्ष के बाद) तीसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स रहेजा एसईजेड लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि एसईजेड अधिसूचित हो गया है परंतु क्रियाशील नहीं है तथा 5 साल का समय बीत जाने के बावजूद बहुत कम प्रगति हुई है। विकास आयुक्त, एनएसईजेड ने उक्त मामले में वैधता अवधि पुन: बढ़ाने की सिफारिश नहीं की। विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने अवधि पुन: बढ़ाने के लिए विकासक के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया।

मद संख्या 55.8 : औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए विलंब से अनुरोध

(i) उथुकुली गांव, इरोड जिला, तमिलनाडु में टेक्सटाइल के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 30 मई, 2012 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स आईजी3 इनफ्रा लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 30 मई, 2013 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंज़ूरी प्रदान की।

मद संख्या 55.9 : 7वें वर्ष के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स पोस्को इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि अब तक इस मुद्दे पर राज्य सरकार की राय प्राप्त नहीं हुई है। विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने राज्य सरकार के विचारों को ध्यान में रखने के बाद निर्णय लेने के लिए मामले को आस्थगित कर दिया।

मद संख्या 55.10 : रायगढ़, महाराष्ट्र में 1012 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में बहु उत्पाद एसईजेड स्थापित करने के लिए 7 जनवरी 2008 के बाद सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि तीसरी बार बढ़ाने के लिए विकासक मैसर्स रीवा इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि सैद्धांतिक अनुमोदन की अवधि दो बार बढ़ाई गई है परंतु विकासक द्वारा बहुत कम प्रगति की गई है। विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने विकासक के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया तथा उक्त एसईजेड परियोजना के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने से मना कर दिया।

मद संख्या 55.11 : यूनिटों के एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध (पहला विस्तार)

(i) एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने / पुन: वैध करने के लिए मैसर्स लीला वेंचर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो मैसर्स महाराष्ट्र एयरपोर्ट डवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (एमएडीसी) द्वारा मिहान, नागपुर, महाराष्ट्र में विकसित बहु उत्पाद एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने 14 जून, 2013 तक उपर्युक्त यूनिट के लिए एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाई।

मद संख्या 55.12 : तीन से छ: साल के बाद यूनिटों के एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

(i) 9 जुलाई, 2011 के बाद (चौथे वर्ष के बाद) एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड जो मैसर्स इनफोपार्क एसईजेड, कोच्चि की एक यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने 09.07 जून, 2013 तक उपर्युक्त यूनिट के लिए एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाई।

(ii) 25 सितंबर 2012 के बाद (चौथे वर्ष के बाद) अनुमति पत्र (एलओपी) की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स मेघमणि यूनीचेम एलएलपी जो दाहेज एसईजेड की एक यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने एलओपी की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए उसके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया।" अपनी प्रस्तावित विनिर्माण गतिविधियों के लिए यूनिट स्थापित करने के लिए तैयार हो जाने पर यूनिट नए एलओपी तथा भूखंड के नए आवंटन के लिए आवेदन कर सकती है।"

(iii) 25 मई, 2012 के बाद (चौथे वर्ष के बाद) अनुमति पत्र (एलओपी) की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स राजतरु इनफोटेक एंटरटेनमेंट लिमिटेड जो मिहान एसईजेड, नागपुर, महाराष्ट्र की एक यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने 25 मई, 2013 तक उपर्युक्त यूनिट के लिए एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाई।

(iv) 3 दिसंबर 2012 के बाद (5वें वर्ष के बाद) एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स विप्रो लिमिटेड जो विलानकुरिची गांव, कोयंबटूर, तमिलनाडु में ईएलसीओटी एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने 3.06 जून, 2013 तक उपर्युक्त यूनिट के लिए एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाई।

मद संख्या 55.13 : पेट्रोनेट एलएनजी टर्मिनल से दाहेज एसईजेड क्षेत्र में अपने परियोजना स्थल तक 16 इंच व्यास की प्राकृतिक गैस की पाइप लाइन लाने के लिए अनुमोदन प्रदान करने मैसर्स टोरेंट एनर्जी लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने पेट्रोनेट एलएनजी टर्मिनल से दाहेज एसईजेड क्षेत्र में उनके परियोजना स्थल तक 16 इंच व्यास की नेचुरल गैस पाइप लाइन लाने के लिए इस शर्त के अधीन मैसर्स टोरेंट एनर्जी लिमिटेड (टीईएल) के अनुरोध को अनुमोदित किया कि ड्यूटी लाभ एसईजेड के बाहर संचालित की गई गतिविधियों तक सीमित होंगे।

मद संख्या 55.14 : दाहेज एसईजेड / जीआईडीसी पाइपिंग कोरिडोर में एथिलीन पाइप लाइन बिछाने के लिए मैसर्स अणुशक्ति स्पेशियलिटी एलएलपी का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने दाहेज एसईजेड / जीआईडीसी पाईप कोरीडोर में एथिलीन पाइप लाइन बिछाने के लिए इस शर्त के अधीन मैसर्स अणुशक्ति स्पेशियलिटी एलएलपी के अनुरोध को अनुमोदित किया कि ड्यूटी लाभ एसईजेड के अंदर संचालित की गई गतिविधियों तक सीमित होंगे।

मद संख्या 55.15 : सन्निकटता की शर्त में छूट प्रदान करने के लिए अनुरोध

(i) काकीनाडा, पूर्वी गोदावरी जिला, आंध्र प्रदेश में पोन्नाडा, मुलापेटा, रामनक्कापेटा गांव में बहु उत्पाद एसईजेड की सन्निकटता की शर्त में छूट प्रदान करने के लिए मैसर्स काकीनाडा एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

बोर्ड ने काकीनाडा, पूर्वी गोदावरी जिला, आंध्र प्रदेश में पोन्नाडा, मुलापेटा, रामनक्कापेटा गांव में बहु उत्पाद एसईजेड की सन्निकटता की शर्त में छूट प्रदान करने के लिए मैसर्स काकीनाडा एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध को निम्नलिखित शर्तों के अधीन मंजूरी प्रदान की :

(क) विकासक अधिसूचना की तारीख से 3 वर्षों की अवधि के अंदर सन्निकटता स्थापित करेगा।

(ख) एसईजेड में सन्निकटता स्थापित करने के लिए ऐसी संरचनाओं के निर्माण के लिए विकासक को कोई ड्यूटी रियायत उपलब्ध नहीं होगी।

(ग) पुलों का निर्माण होने तक विकासक विकास आयुक्त, वीएसईजेड तथा क्षेत्राधिकारीय सीमा शुल्क एवं उत्पाद शुल्क आयुक्त की संतुष्टि के अनुसार एसईजेड के क्षेत्र की समुचित बांडिंग / फैंसिंग का सुनिश्चय करेगा।

(घ) किसी एसईजेड यूनिट के लिए एलओए तब तक जारी नहीं किया जाएगा जब तक कि सन्निकटता स्थापित करने और प्रसंस्करण क्षेत्र की सुरक्षा के लिए सभी उपाय पूरे नहीं हो जाते हैं।

मद संख्या 55.16 : गीगाप्लेक्स एसईजेड में सुविधा का पूर्णत: निर्माण होने तक अंतरिम व्यवस्था के रूप में टीटीसी औद्योगिक क्षेत्र, एमआईडीसी, एयरोली, जिला थाणे, महाराष्ट्र में सिरेन एसईजेड से प्रचालन करने के लिए मैसर्स आईगेट कंप्यूटर सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड जो प्लाट नंबर आईटी 5, एयरोली नालेज पार्क, एमआईडीसी - आरआरसी, जिला थाणे, महाराष्ट्र में प्रस्तावित यूनिट है, का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को वापस लेने के लिए विकास आयुक्त, एसईईपीजेड के अनुरोध को स्वीकार कर लिया।

मद संख्या 52.17 : डीटीए में डाटा बैकअप टेप / मीडिया के मूवमेंट के लिए मैसर्स आईबीएम दक्ष बिजनेस प्रोसेस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड से अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने डीटीए में डाटा बैकअप टेप / मीडिया के मूवमेंट के लिए मैसर्स आईबीएम दक्ष बिजनेस प्रोसेस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध को आस्थगित कर दिया, जिसका निर्धारण आईटी / आईटीईएस एसईजेड के लिए डीआर / बीसीपी सेंटर की स्थापना के लिए प्रस्तावित दिशानिर्देशों के आधार पर किया जाएगा।

मद संख्या 55.18 : एसईजेड में प्लास्टिक रिसाइकलिंग यूनिटों के एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाना

अनुमोदन बोर्ड ने प्लास्टिक रिसाइकलिंग यूनिटों के लिए नीति को अंतिम रूप दिए जाने तक 31 दिसंबर 2012 तक प्लास्टिक रिप्रोसेसिंग यूनिटों के एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के निर्णय की पुष्टि की।

मद संख्या 55.19 : अनुमोदन बोर्ड के समक्ष अपील

(i) 'कैब सेवा' किराए पर लेने के अनुरोध को अस्वीकार किए जाने के विरुद्ध मैसर्स ईआई डुपोंट सर्विसेज सेंटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो गचिबाउली गांव, सेरिलिंगमपल्ली मंडल, रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में आईटी / आईटीईएस के लिए मैसर्स डीएलएफ कामर्सियल डवलपर्स लिमिटेड द्वारा विकसित किए जा रहे वीएसईजेडजेड की यूनिट है, की अपील

अनुमोदन बोर्ड ने मामले को आस्थगित कर दिया क्योंकि न तो अपीलकर्ता और न ही उसका प्रतिनिधि उपस्थित था।

अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हो गई।

****

अनुबंध 1

वाणिज्य सचिव, वाणिज्य विभाग की अध्यक्षता में 23 नवंबर, 2012 को आयोजित विशेष आर्थिक क्षेत्रों के लिए अनुमोदन बोर्ड की बैठक के प्रतिभागियों की सूची

1. श्री एस आर राव, अध्यक्ष, अनुमोदन बोर्ड और वाणिज्य सचिव, वाणिज्य विभाग
2. सुश्री दीपशिखा शर्मा, उप सचिव (आईटीए-1), सीबीडीटी, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय
3. श्री नजीब शाह, डीजीईपी, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय
4. श्री जितेंद्र कुमार, अतिरिक्त निदेशक (डीजीईपी), राजस्व विभाग
5. श्री ए के पुजारी, महानिदेशक, विदेश व्यापार
6. श्री विवेक रंजन, अतिरिक्त निदेशक, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय
7. डा. एल बी सिंघल, अपर डीजीएफटी, विदेश व्यापार महानिदेशक
8. श्री जी मंजूनाथ गोंडा, रेजिडेंट डायरेक्टर, कर्नाटक उद्योग मित्र कर्नाटक भवन - 3, खेलगाँव मार्ग, नई दिल्ली
9. श्रीमती मधुमति कुमार, जीएम (डी), एसआईपीसीओटी, तमिलनाडु
10. श्री राम सिंह, उप निदेशक (पी), उद्योग और वाणिज्य विभाग, उद्योग बाण, सेक्टर 17, चंडीगढ़
11. डॉ एस के साहू, विकास आयुक्त (एमएसएमई) का कार्यालय, एमएसएमई मंत्रालय, निर्माण भवन
12. श्री टी ए खान, (आरओ), टीसीपीओ, शहरी विकास मंत्रालय, ई-ब्लॉक, विकास बाण, नई दिल्ली
13. श्री आर डी मीणा, अनुसंधान सहायक, टीसीपीओ, शहरी विकास मंत्रालय
14. श्री प्रोमोद आर, सहायक संपर्क अधिकारी, केरल होम, केरल सरकार

विकास आयुक्तों की सूची

15. श्री संजीव नंदवानी, विकास आयुक्त, फाल्टा, कोलकाता
16. श्री जयंत मिश्रा, विकास आयुक्त, नोएडा एसईजेड, उत्तर प्रदेश
17. श्री एन पी एस मोंगा, विकास आयुक्त, एसईईपीजेड एसईजेड
18. श्री विजय एन शेवाले, विकास आयुक्त, सूरत एसईजेड, सूरत
19. श्री महेंद्र जैन, विकास आयुक्त, एनएमएसईजेड और केएसएसईजेड
20. श्री एस किशोर, विकास आयुक्त, एपीएसईजेड
21. श्री के एल शर्मा, विकास आयुक्त, स्टर्लिंग एसईजेड, गुजरात
22. श्रीमती श्रीमती लता शुक्ला, विकास आयुक्त, मुंद्रा एसईजेड
23. श्री वेद प्रकाश, विकास आयुक्त, मिहान एसईजेड
24. श्री अनिल बंबा, विकास आयुक्त, सेरिकिटी एसईजेड
25. श्री एस एन पाटिल, संयुक्त विकास आयुक्त, दहेज एसईजेड

वाणिज्य विभाग के प्रतिभागियों की सूची

26. श्री राजीव अरोड़ा, संयुक्त सचिव, वाणिज्य विभाग
27. श्री संजीत सिंह, निदेशक, वाणिज्य विभाग
28. श्री कविराज साबर, अवर सचिव, वाणिज्य विभाग
29. श्री एस एस कुमार, अवर सचिव, वाणिज्य विभाग
30. श्री पंकज गंगवार, अनुभाग अधिकारी, वाणिज्य विभाग
31. श्री आर के दत्ता, अनुभाग अधिकारी, वाणिज्य विभाग